

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक- 1297 /11-सी-FP/UP/Others/30687/2017, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 20, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
पीलीभीत टाईगर रिजर्व वृत्त, पीलीभीत।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग सं०-62 पी०ए० के चैनेज 5.924 से 5.959 दॉयी पटरी पर ग्राम ईटगॉव, तहसील-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा सं०-821 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Others/30687/2017)

सन्दर्भ: भारत सरकार की पत्र सं०-8बी०-यू०पी०/06/267/2022/एफ०सी०/243दिनांक 26.05.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयगत प्रकरण में आपके कार्यालय का पत्रांक-873/14-1, दिनांक 09.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवेश पोर्टल पर संशोधित मैप अपलोड कर दिया गया है, जिसका पोर्टल पर परीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाईल ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

अतः भारत सरकार के संदर्भित पत्र के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की संशोधित के०एम०एल० फाईल, मैप सहित समस्त अभिलेख अपलोड कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1297 /11-सी FP/UP/Others/30687/2017 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत वन प्रभाग, पीलीभीत।
- 3- वरिष्ठ प्रबंधक (रिटेल सेल्स), इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लि०,(एम०डी०) 35-ए, कमला नेहरू मार्ग, बरेली-243001

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।